महत्वपूर्ण

म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, मध्यप्रदेश

आदेश

क्र./PHFW-0198/2022/सत्रह/मेडि–3/I/132694 भोपाल, दिनांकः 11/01/2024

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला अध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
7. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार के संबंध में सी.जी.एच.एस. (CGHS) भोपाल के पैकेज दर पर उपचार हेतु सहमत राज्य के भीतर निजी चिकित्सालयों के मान्यता वृद्धि/अतिरिक्त मान्यता/नवीन मान्यता हेतु सूचीबद्धकरण (Empanelment) विषयक।

संदर्भः–
1. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 442, दिनांक 03 अगस्त 2022 द्वारा अधिसूचित "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022"
2. शासन का आदेश क्र. / PHFW/ 0198/ 2022/ 17/ मेडि–3/I/ 79149 /997 दिनांक 21/10/2022
3. शासन का आदेश क्र./PHFW/0198/2022/17/मेडि–3 I/922 दिनांक 03/02/2023
4. शासन का आदेश क्र./PHFW/0198/2022/17/एम–3/I/ दिनांक 10/04/2023

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के जांच/उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 03 अगस्त 2022 में अधिसूचना उपरान्त **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022** प्रवृत्त की गई है।

राज्य शासन, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के अंतर्गत राज्य के भीतर निजी चिकित्सालयों के सूचीबद्धकरण हेतु विहीत राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06/12/2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में प्रदेश के निम्न निजी अस्पतालों को National Accreditation Board for Hospital & Health Care Providers (NABH) Certificate की वैधता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु सी.जी.एच.एस. (CGHS) भोपाल के पैकेज दर अनुरूप मान्यता वृद्धि/अतिरिक्त मान्यता/नवीन मान्यता हेतु सूचीबद्ध करती है:–

क्र.	अस्पताल का नाम	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	जांच/उपचार का नाम	अधिमान्यता की वैधता
नवीन मान्यता				
1.	बॉम्बे हॉस्पिटल इन्दौर	443	1. Cardiology (Interventional & Non-interventional) 2. Neurology 3. Neurosurgery 4. Obstetrics and Gynaecology 5. Orthopaedics Surgery Including Joint Replacement Surgery 6. Respiratory Medicine 7. Transplant Services (Kidney) 8. Spine Surgery	जनवरी 2027 तक

क्र.	अस्पताल का नाम	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	जांच/उपचार का नाम	अधिमान्यता की वैधता
2.	नेशनल हास्पिटल भोपाल	NH/48/Dec-2007	1. Cardiology (Interventional) 2. Diagnostic Services • 2D Echo • CT Scanning • Tread Mll Testing • Ultrasound	मई 2024 तक
3.	नर्मदा अपना हॉस्पिटल, नर्मदापुरम	36	1. Orthopaedics including joint replacement surgery and Arthroscopy 2. Nephrology	Nephrology के इन-हाउस चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की शर्त पर दिसम्बर 2025 तक के लिए सशर्त
4.	जैनमश्री हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड, भोपाल	NH/9732/NOV-2019	1. Anaesthesiology including Critical Care 2. Cardiology (Non-Invasive) 3. General Medicine 4. General Surgery 5. Gynaecology 6. Medical Gastroenterology 7. Orthopaedics Surgery 8. Surgical Gastroenterology 9. Nephrology 10. Neurology	फरवरी 2026 तक
5.	शैल्बी हॉस्पिटल एन एशोसिएशन विथ एसएमजे ट्रस्ट जबलपुर	891	1. Orthopaedics Surgery Including Joint Replacement Including Arthroplasty Surgeries 2. Medical Oncology 3. Neurology 4. Neurosurgery 5. Surgical Oncology	दिसम्बर 2026 तक
6.	तेजनकर हेल्थकेयर एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड उज्जैन	23	1. General Medicine 2. Neurosurgery 3. Obstetrics & Gynaecology (Excluding High – risk Pregnancy) 4. Orthopaedic surgery 5. Laboratory Services • Clinical Pathology • Haematology	जून 2025 तक
7.	मार्बल सिटी हास्पिटल जबलपुर	24	1. Neurosurgery 2. Orthopaedic surgery (Including joint Replacement) 3. Paediatrics	मई 2024 तक

क्र.	अस्पताल का नाम	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	जांच/उपचार का नाम	अधिमान्यता की वैधता
8.	नोबल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल भोपाल	NH/187/Sep- 2011	1. Cardiology 2. Cardiothoracic and Vascular surgery including Paediatric CTVS 3. Critical Care 4. General Surgery including Laparoscopic Surgery 5. Nephrology including Dialysis 6. Neurosurgery 7. Neurology 8. Obstetrics and Gynaecology 9. Orthopaedic Surgery Including joint Replacement 10. Paediatrics 11. Respiratory Medicine 12. Urology 13. Laboratory Services • Clinical Microbiology and Serology • Clinical Pathology	राशि रु. 25,000/– रोगी कल्याण समिति में जमा करवाने की शर्त पर फरवरी 2027 तक के लिए सशर्त
9.	जिंदल हास्पिटल भोपाल	NH/4419/OCT-2021	1. General Medicine 2. General Surgery (Excluding Laparoscopic Surgery) 3. Neurosurgery 4. Orthopaedic Surgery (Including Joint Replacement) 5. Laboratory Services • Clinical Pathology • Haematology	जनवरी 2025 तक
10.	स्वास्तिक मल्टीस्पेशेलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जबलपुर	785	1. Cardiology 2. General Medicine including infectious diseases 3. General Surgery including laparoscopic surgery 4. Obstetrics and Gynaecology 5. Orthopaedic Surgery including joint replacement 6. Paediatrics 7. Urology	जुलाई 2027 तक

क्र.	अस्पताल का नाम	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	जांच/उपचार का नाम	अधिमान्यता की वैधता
11.	ग्लोबल स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर	631/01/04/2012	1. Anaesthesiology 2. Cardiology 3. Dental Services 4. General Medicine 5. Ophthalmology 6. Orthopaedic surgery Including Joint Replacement Surgery 7. Professions Allied to Medicine • Physiotherapy	दिसम्बर 2025 तक
12.	ज्योति मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्दौर	08	1. Anaesthesiology Including Critical Care 2. General Medicine 3. General Surgery 4. Obstetrics and Gynaecology 5. Orthopaedic & Joint Replacement Surgery 6. Diagnostic Services • Ultrasound • 2D Echo • X-Ray 7. Laboratory Services • Haematology • Clinical Pathology	जून 2024 तक
13.	अपेक्स हास्पिटल भोपाल	NH/54/Dec-07	1. General Medicine 2. General Surgery 3. Orthopaedics 4. Surgical Oncology	सितम्बर 2024 तक
14.	वी वन हास्पिटल इन्दौर	NH/4126/SEP-2021	1. Cardiology (Interventional) 2. Medical Gastroenterology 3. Orthopaedic Surgery Including joint Replacement	मार्च 2025 तक
15.	लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल जबलपुर	201	1. General Surgery 2. Orthopaedic Surgery 3. Plastic and Reconstructive Surgery	अप्रैल 2026 तक
16.	रेटिना स्पशेलिटी हॉस्पिटल, इन्दौर	1369	1. Anaesthesiology 2. Retina 3. Cataract 4. Cornea including Corneal Transplantation 5. Uvea and Neuro Ophthalmology 6. Paediatric Ophthalmology 7. Oculoplasty 8. Ocular Oncology 9. Glaucoma 10. Retinopathy of Prematurity 11. Ophthalmology (Including Eye Emergencies)	जनवरी 2025 तक
17.	अनंत हार्ट हास्पिटल भोपाल	NH/5883/APR-2022	1. Cardiology	नवम्बर 2024 तक

क्र.	अस्पताल का नाम	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	जांच/उपचार का नाम	अभिमान्यता की वैधता
18.	महेश्वरी हॉस्पिटल फेक्चर मेटरनिटी एण्ड जनरल हॉस्पिटल भोपाल	NH/258/July/14	1. General Surgery (Including Laparoscopic Surgery) 2. Neurosurgery 3. Obstetrics & Gynaecology 4. Urology	जनवरी 2025 तक
19.	चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय एण्ड लैजर आई सर्जरी सेंटर विवेकानन्द वॉर्ड जबलपुर	NH/4559/OCT-2021	1. Cataract Services 2. Glaucoma Services 3. Neuro-Ophthalmology	अगस्त 2024 तक
20.	सेंटर फॉर साईट हॉस्पिटल इन्दौर	NH/8034/OCT-2018	1. Ophthalmic Emergency 2. Comprehensive Ophthalmic Services 3. Cataract Services 4. Glaucoma services 5. Medical Retina Services 6. Surgical Retina Services 7. Paediatric Ophthalmology 8. Cornea Services 9. Refractive Services 10. Uvea Services 11. Strabismus	जनवरी 2025 तक
21.	डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड, इन्दौर	NH/4946/DEC-2021	1. Ophthalmic Emergency 2. Comprehensive Ophthalmic Services 3. Cataract Services 4. Glaucoma Services 5. Medical Retina Services 6. Surgical Retina Services 7. Refractive Services 8. Uvea Services	जुलाई 2026 तक
अतिरिक्त मान्यता				
1.	नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि. भोपाल	NH/78/feb-08	1. Neurosurgery 2. Urology 3. Neurology	राशि रु. 25,000/- रोगी कल्याण समिति में जमा करने की शर्त पर दिसम्बर 2026 तक सशर्त
मान्यता वृद्धि				
1.	अमृता हॉस्पिटल शहडोल	35/2014	1. General Surgery 2. Obstetrics and Gynaecology 3. Laboratory Services • Clinical Biochemistry • Clinical Pathology • Haematology	मार्च 2025 तक

क्र.	अस्पताल का नाम	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	जांच/उपचार का नाम	अधिमान्यता की वैधता
2.	आरोग्य हेल्थकेयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल छिन्दवाड़ा	NH/0333/Mar/2020	1. General Surgery 2. General Medicine 3. Orthopaedics Surgery 4. Cardiology (Interventional) 5. Urology	अप्रैल 2025 तक
3.	एमिनेंट हॉस्पिटल (ए यूनिट ऑफ प्रत्युष हेल्थ केयर प्रा.लि.) इन्दौर	NH/0254/feb/2020	1. Anaesthesiology 2. General Surgery 3. Medical Gastroenterology 4. Nephrology 5. Neurology 6. Neuro surgery (Including spine Surgery) 7. Orthopaedics Surgery 8. Respiratory Medicine 9. Urology 10. 2D ECHO	जुलाई 2025

उपरोक्त अधिमान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी:–

1. निजी अस्पताल संचालकों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु राज्य के भीतर नवीन मान्यता के लिए जमा की जाने वाली राशि रु. 50,000/– एवं अतिरिक्त मान्यता/मान्यता वृद्धि हेतु राशि रु. 25,000/– केवल एक बार प्रकरण पर विचार हेतु मान्य होगा। संबंधित अस्पताल द्वारा पुनः अतिरिक्त मान्यता/मान्यता वृद्धि हेतु आवेदन करने पर, संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित शासकीय संस्था के रोगी कल्याण समिति में पुनः निर्धारित राशि जमा की जानी होगी।

2. **राज्य के भीतर सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों द्वारा एम्पैनलमेन्ट उपरान्त, रिसेप्शन काउंटर पर शासकीय कर्मचारियों के संज्ञान हेतु सूचीबद्ध किए गए Scope of Services (जांच/उपचार जिसके लिए अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया) एवं मान्यता की वैधता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।**

3. **शासकीय कर्मचारियों द्वारा अग्रिम हेतु चिकित्सकीय उपचार का एस्टिमेट मांगे जाने पर सूचीबद्ध निजी अस्पताल द्वारा सी.जी.एच.एस. भोपाल के प्रचलित दर अनुरूप निर्धारित पैकेज को दृष्टिगत रखते हुए ही प्राक्कलन दिया जाना होगा।**

4. राज्य के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों में शासकीय कर्मचारी/उनके आश्रितों के उपचार हेतु पहचान स्थापित करने हेतु शासकीय विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड एवं परिवार समग्र आई.डी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. सी.जी.एच.एस. पैकेज दर सेमी प्राईवेट वॉर्ड हेतु निर्धारित है। रोगी के जनरल वॉर्ड में भर्ती होने पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि निर्धारित पैकेज दर से 10% कम एवं प्राईवेट वॉर्ड में भर्ती होने पर 15% अधिक होगी।

6. सी.जी.एच.एस. पैकेज दर अंतर्गत निम्न शुल्क समाविष्ट हैं (MoHFW OM F no. 2-1/2012/CGHS/VC/CGHS (P) – Clarification regarding admissible & non-admissible items under CGHS, dated 1st Aug. 2013): -

i. Registration charges
ii. Admission charges
iii. Accommodation charges including patient's diet
iv. Operation charges
v. Injection charges
vi. Dressing charges
vii. Doctor/Consultant charges
viii. ICU/ICCU charges
ix. Monitoring charges
x. Transfusion charges
xi. Anesthesia charges
xii. Operation theatre charges
xiii. Procedural charges/surgeon's fees
xiv. Cost of surgical disposables and all sundries used during hospitalization
xv. Cost of medicines
xvi. Related routine and essential investigations
xvii. Physiotherapy charges etc.
xviii. Nursing care and charges for its services

7. Implants/Stents/Grafts/Life saving medicines such as Anticancer drugs की प्रतिपूर्ति पैकेज रेट्स के अतिरिक्त वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है, यदि सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत सीलिंग रेट विहित नहीं है।

8. आंतरिक रोगी के उपचार के दौरान, सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा शासकीय कर्मचारियों/उनके आश्रितों के पृथक से औषिधयां/उपकरण/भिन्न–भिन्न सामग्री अथवा साधन (Medicines/Equipment/Sundries/Accessories) का क्रय नहीं कराया जाएगा एवं सी.जी.एच.एस. दरों पर ही उपचार किया जाएगा जिसमें समस्त औषधियां/सामग्रियों का शुल्क समाविष्ट है।

9. **उपरोक्त को दृष्टित रखते हुए राज्य के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा शासकीय कर्मचारियों/उनके आश्रितों के उपचार उपरान्त Invoice Summary, शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसमें पैकेज कोड/कोड्स का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।**

10. **डायलिसिस उपरान्त राज्य के भीतर सूचीबद्ध निजी अस्पताल द्वारा 1 दिवसीय डे–केयर (1 day for Day Care) हेतु अभिप्रमाणित देयक के प्रस्तुति पर सी.जी.एच.एस. भोपाल में विभिन्न प्रकार के डायलिसिस (Peritoneal Dialysis, Haemodialysis, CAPD etc.) हेतु निर्धारित पैकेज दर अनुसार प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।**

11. राज्य के भीतर सूचीबद्ध चिकित्सालय से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी प्रत्येक माह के 7 तारीख तक mr.dhs@mp.gov.in पर प्रेषित करना होगी :–

क्र.	अस्पताल का नाम	रजिस्ट्रेशन क्र.	माह में सी.जी.एच.एस. भोपाल के प्रचलित दर पर उपचारित शासकीय कर्मचारी/उनके आश्रितों की संख्या

12. **शासन द्वारा वांछित जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों के उपचार हेतु निर्धारित सी.जी.एच.एस. भोपाल के पैकेज दर से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा प्रदायित स्वास्थ्य सुविधाएं उपयुक्त/मानक स्तर का न पाए जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर, यह अधिमान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।**

13. Cardiothoracic Surgery हेतु Cath Lab, Intensive Coronary Care Unit (ICCU), OT for Interventional Surgery/Procedures की व्यवस्था निजी अस्पताल के भवन अथवा परिसर में आवश्यक रूप से होना तथा शल्यक्रिया पश्चात् रोगी के आवश्यक देखभाल हेतु पूर्णकालिक विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता होना अनिवार्य है।

14. बड़ी शल्य क्रिया जैसे ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु निजी चिकित्सालय में स्वयं का ब्लड बैंक होना अनिवार्य है।

15. यह अधिमान्यता मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना क्र. 442, दिनांक 03 अगस्त 2022 के स्थापित प्रावधानों के तारतम्य में जारी की गई है एवं इस परिपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन में अध्याधीन रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.

क्र./PHFW-0198/2022/सत्रह/मेडि-3/I/132694 भोपाल, दिनांक 11/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (ऑडिट) – 1/2 ग्वालियर, म.प्र.।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव स्वास्थ्य, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
5. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
6. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, म.प्र.।
7. संचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
8. अपर संचालक/संयुक्त संचालक (एम.आर.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल, म.प्र. ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
11. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
12. समस्त संचालक, सूचीबद्ध अस्पताल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
14. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.